समाचार–प्रकाशनार्थ :–

किल कोरोना की तरह किल डेंगू अभियान में सभी जुट जायें–श्री झारिया
घर–घर किया जाये सर्वे, साफ पानी कहीं भी एकत्रित ना हो

रतलाम 10 सितम्बर । डेंगू की रोकथाम हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विडियो कान्फ्रेंस में दिये निर्देश के तहत त्वरित कार्यवाही किये जाने हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने जिला मलेरिया अधिकारी डॉ0 प्रमोद प्रजापति के साथ निगम अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, झोन प्रभारी व वार्ड प्रभारियों की बैठक लेकर डेंगू के प्रति नागरिकों को जागरूक किये जाने तथा डेंगू के लार्वा को नष्ट किये जाने हेतु घर–घर सर्वे किये जाने के निर्देश दिये।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने आयोजित बैठक में बताया कि डेंगू के मरीजों की संख्या में दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है, जिस प्रकार किल कोरोना अभियान के तहत कोरोना पर काबू पाया था ठीक इसी प्रकार से हमें किल डेंगू अभियान चलाकर डेंगू पर काबू पाना है। उन्होने निगम के स्वास्थ्य अधिकारी, झोन प्रभारी व वार्ड प्रभारियों को निर्देशित किया कि डेंगू के प्रति नागरिकों को जागरूक किये जाने के साथ ही घर–घर जाकर सर्वे किया जाये व लार्वा पाया जाने पर संबंधितों पर जुर्माने की कार्यवाही के साथ ही मलेरिया विभाग से संपर्क कर लार्वा को नष्ट किये जाने की कार्यवाही की जाये।

आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि डेंगू का लार्वा साफ रूके हुए पानी में पनपता है इस हेतु कहीं भी 5 दिन से अधिक समय का पानी रूका हुआ नहीं होना चाहिये यदि कहीं पानी रूका है तो उसमें जला हुआ आईल डाला जाये जिससे डेंगू के लार्वा नष्ट हो सकें। उन्होने यह भी निर्देशित किया कि घरो–दुकानों में कहीं भी मटके, ड्रम, टायर, टब इत्यादि में पानी एकत्रित ना हो इसका सर्वे किया जाये।

जिला मलेरिया अधिकारी डॉ0 प्रमोद प्रजापति ने इस अवसर पर बताया कि डेंगू एडिस मच्छर के काटने से होता है व साफ रूके हुए पानी में पनपता है इस हेतु किसी भी स्थान या वस्तु में साफ रूका हुआ पानी ना हो इसकी सुनिश्चितता की जाये तभी डेंगू पर काबू पाया जा सकेगा। उन्होने बताया कि डेंगू का मच्छर 400 मीटर के दायरे में डेंगू की बीमारी फैला सकता है यह मच्छर दिन के समय काटता है। इस अवसर पर उन्होने डेंगू बीमारी के लक्षण, डेंगू की रोकथाम इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी से अवगत कराया।

नगर निगम व मलेरिया विभाग द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है कि वे मच्छर जनित डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाव हेतु अपने आसपास, गड्ढो में पानी एकत्रित ना होने दें साथ ही कूलर का पानी नियमित रूप से बदले, पानी की टंकियों को खुला ना छोड़ें, खुले मटके, ड्रम, टायर इत्यादि में पानी एकत्रित ना होने दें इसके अलावा अपने घरों से निकलने वाले कचरे को यहां–वहां, नाले–नालियों में न डालते हुए निगम के कचरा संग्रहण वाहन में ही डालें साथ ही अपने आसपास जल भराव की स्थिति पैदा न होने दें तभी हमारा शहर साफ–स्वच्छ व सुन्दर होने के साथ डेंगू तथा मलेरिया जैसी बीमारियों से मुक्त रह सकेगा।

इस अवसर पर उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, उपयंत्री श्री सुहास पंडित, श्री बी.एल. चौधरी, निज सहायक श्री सुभाष गोयल, कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्मा, झोन प्रभारी सर्वश्री पर्वत हाड़े, किरण चौहान, विनय चौहान, विराट मेहरा सहित सभी वार्ड दरोगा उपस्थि थे।

नेशनल लोक अदालत का आज 11 सितम्बर शनिवार को आयोजन

संपत्तिकर एवं जलकर की बकाया राशि जमा करने पर अधिभार (सरचार्ज) की राशि में छूट

बकायादार 2 स्थानों पर जमा करा सकेंगे बकाया राशि

रतलाम 10 सितम्बर । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य शासन के निर्देशानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार (सरचार्ज) में छूट देने हेतु आज

11 सितम्बर 2021 शनिवार को नेशनल लोक अदालत के तहत बकाया राशि जमा कराने हेतु नगर निगम कार्यालय जलकर काउंटर के बाहर तथा कोर्ट परिसर में शिविर का आयोजन कार्यालयीन समय में किया गया है।

आयोजित नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/– (रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10,000/– (रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/– (रूपये पचास हजार) से अधिक तथा रूपये 1,00,000/– (रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10,000/– से अधिक तथा रूपये 50,000/– तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 1,00,000/– (रूपये एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/– से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट।

उक्त छूट मात्र एक बार (**One Time Settlement**) ही दी जायेगी। यह छूट वित्तीय वर्ष 2020–21 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। यह छूट मात्र दिनांक 11/09/2021 की नेशनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी।

नगर निगम द्वारा संपत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों से अपील की जाती है कि 11 सितम्बर 2021 शनिवार को आयोजित एक दिवसीय लोक अदालत के तहत नगर निगम कार्यालय जलकर काउंटर के बाहर तथा कोर्ट परिसर में आयोजित शिविर में उपस्थित होकर बकाया राशि जमा कराकर दी जा रही अधिभार (सरचार्ज) में छूट का लाभ उठावें।

रचना हाउसिंग कॉलोनी में कॉलोनाईजर द्वारा किये गये विकास कार्यो का प्राक्कलन 15 सितम्बर तक प्रस्तुत करें

निगम आयुक्त श्री झारिया ने विभाग प्रमुखों को दिये निर्देश

रतलाम 10 सितम्बर। भक्तन की बावड़ी महू रोड बस स्टैण्ड के पास रचना हाउसिंग कालोनी में कॉलोनाईजर द्वारा पूर्ण किये गये शेष विकास कार्यो का प्राक्कलन 15 सितम्बर तक प्रस्तुत किये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने संबंधितों को निर्देशित किया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने आदेश जारी कर कार्यपालन यंत्री कॉलोनी सेल, लोक निर्माण विभाग श्री सुरेशचन्द्र व्यास, प्रभारी कार्यपालन यंत्री जलप्रदाय श्री मोहम्मद हनीफ शेख, प्रभारी सहायक यंत्री विद्युत विभाग श्री एम.के. जैन, प्रभारी सहायक यंत्री लोक निर्माण श्री अनवर कुरेशी, उपयंत्री लोक निर्माण विभाग श्री राजेन्द्र मिश्रा व उपयंत्री जलप्रदाय विभाग श्री सुहास पंडित को उक्त कालोनी में विकास कार्य सीमेन्ट कांक्रीट रोड, पेवर ब्लॉक, सीवरेज पाईप लाईन, बगीचा का आन्तरिक विकास मय खेल उपकरण, सेप्टिक टैंक, ट्यूबवेल, होव्हर हेड टैंक, सम्पवेल, पेयजल पाईप लाईन कार्य आदि, इलेक्ट्रीक पोल, एलईडी स्ट्रीट लाईट, ट्रांसफार्मर आदि के समस्त आवश्यक कार्य कॉलोनाईजर द्वारा कौन–कौन से कितनी मात्रा में पूर्ण किये है कॉलोनी के अनुमोदित मानचित्र पर दर्शाये तथा शेष अधूरे कार्य साथ ही निगम में बंधक रखे गये भूखण्ड़ो की वर्तमान भौतिक स्थिति कॉलोनी के अनुमोदित मानचित्र पर दर्शाकर विस्तृत प्राक्कलन 15 सितम्बर तक प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये।

जन शिकायत निवारण शिविर का आयोजन आज नहीं होगा

रतलाम 10 सितम्बर। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम द्वारा नागरिकों की नगर निगम से संबंधित शिकायतें सुनने एवं शिकायतों के निराकरण हेतु नगर निगम सभागृह में जन शिकायत निवारण शिविर का आयोजन 11 सितम्बर शनिवार को नहीं होगा।

भैंसो व अन्य पशुओं के शेष बचे बाड़े व तबेले आज 11 सितम्बर को तोड़े जायेंगे महाराणा प्रताप चौक से लोकेन्द्र भवन तक आज हटेंगे कच्चे एवं पक्के अतिक्रमण शहरी क्षेत्र से अब तक 26 भैंसो के तबेले हटाये

रतलाम 10 सितम्बर । रतलाम नगर को साफ–स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु निगम नगर निगम एक्ट के विरूद्ध नगरीय सीमा क्षेत्र में संचालित भैंसो के तबेले व बाड़े हटाने के अभियान के तहत तबेले संचालकों को अपने तबेले स्वंय तोड़ने की समय सीमा समाप्त होने के बाद नगर निगम द्वारा तबेले एवं बाड़े तोड़ने की कार्यवाही के तहत निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार शेष बचे तबेले एवं बाड़े तथा महाराणा प्रताप चौक से लोकेन्द्र भवन तक के कच्चे व पक्के अतिक्रमण आज 11 सितम्बर शनिवार को तोड़े जायेंगे साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी। नगर निगम द्वारा अब तक शहरी क्षेत्र से कुल 26 तबेलो को हटाया गया यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशी व उनके बाड़े व तबेलों शहर तो गंदा होता ही है साथ ही उत्पन्न गंदगी से मच्छर पैदा होते है जिससे नागरिकों को मच्छर जनित बीमारियों का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में डेंगू के प्रकोप शहर में बढ़ता जा रहा है इस पर काबू पाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा संपूर्ण शहर में कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है साथ ही निगम एक्ट के विरूद्ध शहर में संचालित गाय, भैंस, सूअर व अन्य पशुओं के तबेले एवं बाड़े तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। मवेशी पालकों के अनुरोध पर उन्हे तीन दिवस का समय दिया गया है नियत समयावधि में मवेशी पालक द्वारा तबेले व बाड़े स्वंय नहीं हटाते है तो उन्हे नगर निगम द्वारा तोड़ा जाकर 15 हजार रूपये प्रतिघन्टा के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जावेगी।

तबेले हटाने की कार्यवाही के दौरान स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी सर्वश्री विनय चौहान, किरण चौहान, श्री पर्वत हाड़े, वार्ड दरोगा सहित निगम के स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग अमले के साथ ही पुलिस प्रशासन उपस्थित था।

डेंगू से बचाव हेतु प्रत्येक झोन में एक–एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव निरंतर जारी

रतलाम 10 सितम्बर। कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नागरिकों को मच्छर जनित डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारी से बचाव हेतु नगर प्रत्येक झोन में एक–एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव का कार्य निरंतर जारी है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने इस अवसर पर बताया कि शहर में बढ़ रहे डेंगू व मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों पर नियंत्रण हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार फॉगिंग मशीन प्रत्येक झोन में एक–एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से नगरनिगम व मलेरिया विभाग द्वारा रूट चार्ट अनुसार सुबह 05:30 से 08:00 बजे तक व शाम को 06:00 से रात 10:00 बजे तक किया जा रहा है साथ ही प्रत्येक वार्ड में एक–एक हैण्ड स्प्रे मशीन से भी कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है।

इस अवसर पर उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री श्री जी.के. जायसवाल, जिला मलेरिया अधिकारी डॉ0 प्रमोद प्रजापति, उपयंत्री श्री राजेश पाटीदार, श्री मनीष तिवारी,

झोन प्रभारी सर्वश्री पर्वत हाड़े, किरण चौहान, विनय चौहान, विराट मेहरा, मलेरिया विभाग के सर्वश्री सुनील दुबे, लक्ष्मीनारायण भाटी, जालम सिंह परिहार आदि उपस्थित थे।

नो पार्किंग में खड़े 10 वाहनों को जब्त कर वसूला जुर्माना

रतलाम 10 सितम्बर । नगर में ऐसे नागरिक जो कि अपने वाहनों को नो पार्किंग में खड़ा कर यातायात व्यवस्था को बाधित करते है, उनके वाहन जब्त कर जुर्माना वसूलने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार चलाई जा रही है जिसके तहत 10 सितम्बर सोमवार को नो पार्किंग में खड़े 10 वाहनों को नगर निगम की क्रेन से जब्त कर संबंधितों से जुर्माना वसूला गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशानुसार 10 सितम्बर शुक्रवार को राम मंदिर व चांदनी चौक क्षेत्र में नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर अर्जून–गोपाल यादव, यशवंत–गोपाल पांचाल, अक्षत–महेश राठौर, छबीनाथ–गंगाराम, नवीन–अखिलेश अग्रवाल, राकेश–रतनलाल, अलिशा–अग्यार, मिसेस राव–मंजले राव, रामहित–धन्नालाल प्रजापति व पवन–राजकुमार यादव पर 200–200 रूपये का जुर्माना किया गया।

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन किया जा रहा है वजन
10 सितम्बर को 1 मिट्रिक टन कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 10 सितम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर–घर से पृथक–पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले–सूखे कचरे व सड़को व नाले–नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 10 सितम्बर शुक्रवार को 1 मिट्रिक टन कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

10 सितम्बर शुक्रवार को डम्पर व ट्रेक्टर से 60340, काम्पेक्टर सूखा कचरा 24890, काम्पेक्टर गीला 16950 किलो इस तरह कुल 102180 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

1327 मवेशियों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा
स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

रतलाम 10 सितम्बर । रतलाम नगर को साफ–स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानो, सड़को, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत 10 सितम्बर तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 1327 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 10 सितम्बर को कस्तुरबा नगर गली नम्बर 8 व 10, कस्तुरबा नगर रोटरी गार्डन, कस्तुरबा नगर मुख्य मार्ग से 6 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा पकड़ा गया।

1128 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 10 सितम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु राशि रूपये 10,000/– ब्याज मुक्त ऋण हेतु 2694 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिसमें से 1395 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके है तथा 1105 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसी तरह द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु राशि रूपये 20,000/– ब्याज मुक्त ऋण हेतु 58 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिसमें से 51 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके है तथा 23 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

नगर निगम द्वारा नगरीय क्षेत्र रतलाम के पथ विक्रेताओं से अपील की जाती है कि जिन्हे प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना अन्तर्गत राशि रूपये 10,000/– का ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा ऐसे पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी राशि रूपये 10,000/– का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त हो चुका है व जमा करा दिया है वे द्वितीय कार्यशील पूंजी राशि रूपये 20,000/– का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु नगर निगम के झोन कार्यालय अलकापुरी कम्युनिटी हॉल, डॉ0 अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड, अमृत सागर उद्यान व हरमाला पम्प हाउस कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर शीघ्र ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पथ विक्रेता को आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 10 सितम्बर **। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।**

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारो, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग इकट्ठे नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 10 सितम्बर। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 10 सितम्बर **। स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर–1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले–नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले–नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।**

वार्डो की समुचित साफ–सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ–सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 10.09.2021 / न.पा.निगम, रतलाम.